भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1879

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा चूक

1879. श्री एन॰ बालगंगाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के समक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा चूक का कोई मामला आया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;
(ग) क्या सरकार कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को और अधिक रियायतें देने का विचार रखती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और
(ङ) इस संबंध में सरकार की कार्ययोजना क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । तथापि एसईजेड इकाइयों के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) करना अनिवार्य होता है, जिसकी संचयी गणना उत्पादन शुरू होने से 5 वर्ष की अवधि हेतु की जाती है । ऐसा न किए जाने पर इकाइयों के विरूद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी । विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एसईजेडों की इकाई अनुमोदन समितियों द्वारा एसईजेडों के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है जो चूक के मामलों में कानून के तहत समुचित कार्रवाई करती हैं ।

(ग) से (ड.) : एसईजेडों हेतु स्वीकृत वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में अंतर्निहित हैं । ये रियायतें सभी एसईजेडों पर समान रूप से लागू होती हैं और निर्यात हेतु प्रोत्साहन स्वरूप हैं तथा उन सिद्धांतों के अनुरूप हैं जो सामान्यतः सरकार की निर्यात संवर्धन पहलों का मार्गदर्शन करते हैं । सरकारी नीति एवं प्रक्रिया की मौजूदा समीक्षा एवं सुधार, जैसा आवश्यक हो, लोक नीति में निहित हैं ।

.....